



**Office of The Executive Engineer**  
**Construction Division, P.W.D Meerut.**

E-mail- cdpwdmeerut@gmail.com



Ref. NO. 846 / Court Case/NGT

Date 18 / 5 / 2024

To,

The Registrar General,  
Hon'ble, National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
Faridkot House, Copernicus Marg,  
New Delhi-110001.

**Sub:** Submission of Report On Behalf of The Principal Secretary, Public Work Department State Of U.P, In Pursuance to The Order Dated 13.03.2024 Passed By The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi In **Original Application No. 238 Of 2024, Suo Moto on the basis of news item tittle "UP gives permission to fell 112000 trees for road along Upper Ganga Canal", appearing in 'Hindustan Times' Dated 01.02.2024**

-----

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 13.03.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi In Original Application No. 238 Of 2024, the Report On behalf of The Principal Secretary, Public Work Department State Of U.P is being filed and enclosed herewith. It is requested that compliance report may be placed before The Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Enclosures: As above

  
(Sanjay Singh)  
Executive Engineer,  
Construction Division, P.W.D  
Meerut.

Ref. NO. / Court Case/NGT Date / /2024

Copy to:- Sh. Ankit Verma, Standing Council State of U.P Hon'ble, National Green Tribunal, Principal Bench, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001.

Executive Engineer,  
Construction Division, P.W.D  
Meerut.

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या- 238/2024 में Notice of hearing in Suo Motu Matter in Re: News item appearing in hindustan times dated 01-02-2024 entitled "UP gives permission to fell 112000 trees for road along Upper Ganga Canal" में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सुनवाई तिथि आदेश दिनांक-13.03.2024 में पारित आदेश के क्रम में अनुपालन आख्या:-

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पत्रांक-1/550486/2024 लोक निर्माण अनुभाग-14 दिनांक 29.04.2024 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-246 व्यगशा/02व्यग(09)/2020 दिनांक 30.04.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड-2/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ/गाजियाबाद/मुजफ्फरनगर को विभागीय आख्या दाखिल करने के लिये नामित किया गया है। (संलग्नक-1)

1. प्रस्तावित परियोजना चौधरी चरण सिंह, कांवड़ मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी कि0मी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक कार्य की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-372/2020/182(आ)/23-11-2020-1/2 (203)/2019 लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ, दिनांक 23 दिसम्बर 2020 द्वारा रू0-62874.26 लाख की प्राप्त हुई है। (संलग्नक-2)
2. उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह, कांवड़ मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को Divisional Director SocNial Forestry Division (प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग) गाजियाबाद, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर द्वारा प्रस्ताव की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से MOEFCC (भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ) को ऑनलाइन परिवेश पोर्टल भाग-2 के माध्यम से प्रेषित किया गया। प्रस्तावित परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	जनपद	कुल कि0मी0	हस्तान्तरित भूमि (है0)	मार्ग के किनारे पडने वाले ग्राम	परियोजना में बाधक वृक्ष	परियोजना में बाधक पौध	परियोजना में बाधक वृक्ष व पौधों का योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुजफ्फरनगर	56.84	113.68	24	16062	811	16873
2	मेरठ	42.30	84.60	24	13692	52993	66685
3	गाजियाबाद	12.35	24.70	06	4022	25142	29164
	योग	111.49	222.98	54	33776	78946	112722

प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले 112722 पौधों/वृक्षों की संख्या में से 33776 वृक्ष की श्रेणी में आते हैं एवं शेष 78946 पौधों की श्रेणी में आते हैं। प्रभावित वृक्षों/पौधों की प्रजातिवार गणना सूची को संलग्न है। (संलग्नक -3)

3. उक्त परियोजना हेतु MOEFCC (भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ) के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/2021/एफ0सी0/930, दिनांक-28.02.2023 द्वारा परियोजना को शर्तों के अधीन In-Principle Approval (सैद्धान्तिक स्वीकृति) (स्टैज-1) जारी की गयी है। (संलग्नक-4)

  
A.E.

pd



4. परियोजना में बाधक वृक्षों के प्रस्तावित Cutting (पातन) की क्षतिपूर्ति एवं Compensatory Afforestation (क्षतिपूरक वृक्षारोपण) के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य—

- (a) परियोजना में प्रभावित होने वाली 222.98 हे० Protected Forest Land (संरक्षित वन भूमि) के सापेक्ष 222.98 हे० समतुल्य Non Forest Land (गैर वन भूमि) की आवश्यकता थी, जिसके क्रम में जनपद गाजियाबाद, मेरठ व मुजफ्फरनगर में Non Forest Land न मिलने के कारण राज्य सरकार द्वारा 223.00 हे० Non Forest Land जनपद ललितपुर में उपलब्ध करायी गई।
- (b) परियोजना के सापेक्ष जनपद मीर्जापुर Degraded Forest Land (अवनत वन भूमि) 190.50 हे० सोनभद्र Degraded Forest Land 98.00 हे० व ललितपुर Degraded Forest Land 86.84 हे० एवं Non Forest Land 222.26 हे० में पौधारोपण हेतु स्थल चयनित किये गये हैं। चयनित स्थल पर पौधों का रोपण एवं उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹0-25,09,73,584.00 (रुपये पच्चीस करोड़ नौ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी) की धनराशि भारत सरकार के कैम्पा फण्ड के माध्यम से जमा करायी गयी है।
- (c) परियोजना के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा Protected Forest Land का Net Present Value (शुद्ध वर्तमान मूल्य) ₹0 24,63,39,762.00 (चौबिस करोड़ तिरसठ लाख उनतालीस हजार सात सौ बासठ मात्र) की धनराशि भारत सरकार के कैम्पा फण्ड के माध्यम से जमा करायी गयी है। (संलग्नक-5, 6)
5. उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप भारत सरकार के कैम्पा फण्ड में जमा करायी गयी धनराशि से निम्नानुसार वन प्रभागों/जनपदों में वृक्षारोपण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है :-

जनपद/वन प्रभाग का नाम	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कैम्पा फण्ड में जमा की गयी धनराशि (रुपये में)
जनपद सोनभद्र में वन ब्लाको के अन्तर्गत अवनत वन भूमि पर पौधों का रोपण उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित	Degraded Forest Land	98.00	2,69,82,200.00
जनपद मिर्जापुर में वन ब्लाको के अन्तर्गत अवनत वन भूमि पर पौधों का रोपण उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित	Degraded Forest Land	190.50	3,28,67,458.00
जनपद ललितपुर में वन ब्लाको के अन्तर्गत अवनत वन भूमि पर पौधों का रोपण उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित	Degraded Forest Land	86.84	2,33,75,180.00
जनपद ललितपुर में गैर वन भूमि पर पौधों का रोपण उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित	Non Forest Land	41.22	1,27,09,246.00
<b>योग—</b>		<b>416.56</b>	<b>9,59,34,084.00</b>

AE

श

श

श

- i. जनपद ललितपुर में वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त पायी गयी Non Forest Landमें Artificial Natural Regeneration पौधारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण

जनपद/वन प्रभाग का नाम	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	जमा की गयी धनराशि (रूपये में)
जनपद ललितपुर में गैर वन भूमि पर पौधो का रोपण उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित	Non Forest Land	181.04	15,50,39,500.00
योग-		181.04	15,50,39,500.00

- ii. परियोजना से प्रभावित होने वाले जनपदो के अन्तर्गतवन प्रभाग द्वारा प्रस्तावितCompensatory Affroestation(क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

जनपद/वन प्रभाग का नाम/स्थल का विवरण	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या	जमा की गयी धनराशि (रूपये में)
जनपद मेरठ के अन्तर्गतरोड साईड वृक्षारोपण/ब्लॉक वृक्षारोपण/ट्री गार्ड वृक्षारोपण उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित	रोड साईड वृक्षारोपण/ब्लॉक वृक्षारोपण/ट्री गार्ड वृक्षारोपण	15.00 हे0	16500	1,86,05,220.00
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गतप्रस्तावित परियोजना के दोनो ओर रिक्त पडें स्थानों पर ब्रिक गार्ड वृक्षारोपण उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित	परियोजना के दोनो ओर रिक्त पडें स्थानों पर	-	2470 ब्रिक गार्ड	1,02,50,500.00
जनपद गाजियाबादवन प्रभाग के अन्तर्गतमार्ग के मिडीयन पर एवं 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित	मार्ग के मिडीयन स्थान पर	-	2058 ट्री गार्ड	61,74000.00
योग-		15.00	21028	3,50,29,720.00

 AE



- iii. परियोजना से प्रभावित होने वाले जनपद गाजियाबाद, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण के उपरान्त प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर उपलब्ध भूमि में Compensatory Afforestation (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

जनपद स्थल का विवरण	भूमि का प्रकार	रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या
जनपद गाजियाबाद, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर उपलब्ध स्थान	रोड साईड वृक्षारोपण	48500
<b>योग—</b>		<b>48500</b>

अर्थात् उपरोक्तानुसार विवरण के अनुरूप परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों/पौधों 112722 के सापेक्ष परियोजना से अन्यत्र जनपदों/वन प्रभागों में एवं परियोजना से प्रभावित जनपदों में पौधों का रोपण व उनके 10 वर्षीय अनुरक्षण के कार्य हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को कुल धनराशि रू० 28,60,03,304 (अट्ठाईस करोड साठ लाख तीन हजार तीन सौ चार मात्र) जमा करायी गयी है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित मार्ग के उपरान्त तीनों जनपद गाजियाबाद, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर में मार्ग संरक्षण पर उपलब्ध भूमि में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं 48500 पौधों का रोपण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

6. अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी के निर्माण (चौधरी चरण सिंह, काँवड़ मार्ग दांयी पटरी निर्माण परियोजना) का औचित्य/महत्ता—

- प्रति वर्ष श्रावण मास में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों से आने वाले लगभग 01 करोड शिवभक्त श्रद्धालु जो हरिद्वार से जल (काँवड़) लेकर अपने गन्तव्य स्थान/राज्यों में वापिस जाने हेतु काँवड़ नहर पटरी के बाईं ओर मार्ग का उपयोग किया जाता है। इस मार्ग का उपयोग राष्ट्रीय मार्ग-58 के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी होता है, काँवड़ यात्रा के समय काँवड़ियों के आवागमन के दृष्टिगत दांयी पटरी पर यातायात पूर्ण रूप से बन्द हो जाता है राष्ट्रीय राज्य मार्ग-58 पर जनपद गाजियाबाद, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर में काँवड़ यात्रा के समय जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे यातायात सुचारु रूप से नहीं हो पाता। जिससे स्थानीय जनता एवं काँवड़ियों की दुर्घटना होती रहती है। एन0एच0-58 एवं दांयी पटरी पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए अपर गंगा नहर की दांयी पटरी पर 7.00 मी० चौड़े पक्के मार्ग का निर्माण होने से स्थानीय जनता एवं दिल्ली, हरियाणा ओर राजस्थान से आने वाले वाहनों को आवागमन हेतु सुलभ मार्ग प्राप्त होगा एवं जनता को दुर्घटना से बचाया जा सकेगा।
- वर्तमान में काँवड़ नहर की दांयी पटरी पर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन मात्र 7.00 मीटर चौड़े मार्ग से हो रहा है, मार्ग पर यातायात अधिक होने एवं मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण मार्ग पर प्रायः दुर्घटना होती रहती है। गंगा नहर दांयी पटरी पर मार्ग निर्माण होने से दांयी पटरी पर यातायात का दबाव कम हो जायेगा एवं दुर्घटना में कमी होगी।
- काँवड़ यात्रा के समय एन0एच0-58 पर वाहनों का आवागमन बन्द हो जाने से तीनों जनपदों में आवश्यक सुविधाये उपलब्ध होने में कठिनाई होती है। काँवड़ नहर की दांयी पटरी के


निर्माण हो जाने से एन0एच0-58 पर यातायात का दबाव कम हो जायेगा एवं वाहनों के आवागमन को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

- iv. अपर गंगा नहर की दांयी पटरी के किनारे बसे 54 ग्रामों एवं उनसे सटे अन्य ग्रामों के कृषक अपनी फसलो को सीधे उक्त मार्ग के माध्यम से गण्डी आदि में सुगमता से पहुँचा सकेंगे।
- v. प्रस्तावित मार्ग के किनारे पर बसे ग्रामों में अपरिहार्य स्थिति में सहायता तेजी से उक्त ग्रामों में पहुँचायी जा सकेगी, स्वास्थ्य व किसी दुर्घटना में अतिशीघ्र सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी, पुलिस सहायता 112 व एम्बुलेस सहायता 108 व अन्य सरकारी सहायता अतिशीघ्र उपलब्ध करायी जा सकेगी।


7. परियोजना हेतु Regional Empowered committee की कई बैठकों के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तों के अधीन अनुमोदित की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुरार व परियोजना लीनियर श्रेणी की होने के फलस्वरूप व परियोजना के अन्तर्गत समस्त देयकों के कम्पा फण्ड में जमा कराने के उपरान्त नियमानुसार तीनों जनपदों के दन प्रभागीय निदेशकों द्वारा लोक निर्माण विभाग को वृक्षों के पालन हेतु कार्यनुमति प्रदान की गई है। (संलग्नक-7)

महो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से अनुरोध है कि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं का पालन किया गया है एवं मार्ग निर्माण में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यावरण सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं का पालन किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

  
अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

  
अधीक्षण अभियन्ता  
मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0,  
गाजियाबाद


  
अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,  
गाजियाबाद

  
अधीक्षण अभियन्ता  
दुलगराहर वृत्त, लो0नि0वि0,  
दुलगराहर


  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
मुजफ्फरनगर

  
अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
मुजफ्फरनगर


  
अधीक्षण अभियन्ता  
सहारनपुर वृत्त, लो0नि0वि0,  
सहारनपुर

  
(गैस प्रकाश)  
वरिष्ठ रटाफ ऑफिसर (ई0-3)  
लो0नि0वि0, लखनऊ

VS-1  
मुख्य अभियन्ता  
दुलगराहर-02  
लो0नि0वि0, लखनऊ

  
मुख्य अभियन्ता (मेरठ)  
लोक निर्माण विभाग, मेरठ

  
(सी0 नि0 श्रीवास्ताव)  
प्रमुख अभियन्ता (विकास)  
लोक निर्माण विभाग  
लो0नि0वि0, लखनऊ

  
लो0नि0वि0, लखनऊ

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0  
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ  
व्यवस्थापन (ग) वर्ग

पत्रांक-246 व्यगशा/02व्यग(09)/2020

दिनांक-30/04/2024

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,  
सहारनपुर/मेरठ क्षेत्र,  
लो0नि0वि0, सहानपुर/मेरठ।

विषय:-ओ0ए0 संख्या-238/2024 UP gives permission to fell 11200 trees for road along Upper Ganga Canal में मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने तथा प्रकरण में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को आवद्ध किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-शासन का पत्रांक-1/550486/2024 दिनांक 29.04.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के संदर्भित पत्र के साथ संलग्न न्याय (रिट विधि मंत्रणा) अनुभाग-6 का पत्र संख्या-1/548422/2024 दिनांक 26.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में लोक निर्माण विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने एवं प्रभावी पैरवी करने हेतु श्री अंकित वर्मा, शासकीय अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली को आवद्ध करते हुए वकालतनामा निर्गत कर दिया गया है।

अतः शासन से प्राप्त पत्र इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि शासन के निर्देशानुसार प्रकरण में श्री अंकित वर्मा, शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष विभाग का पक्ष प्रस्तुत कराने तथा प्रकरण में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

30/04/2024  
(मघ प्रकाश)

वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (ई0-3)

लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अनु सचिव, लो0नि0 अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ/सहानपुर वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ/सहारनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड-2/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ/गाजियाबाद/मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वकालतनामा एवं विभागीय आख्या सहित श्री अंकित वर्मा, शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करें।

2267 सि/705 (NGT) कोर्ट केस नं. 2267/2024

पत्रांक 02-05-2024  
प्रतिलिपि अधीन/अधीन अभियन्ता-मेरठ

वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (ई0-3)

लो0नि0वि0, लखनऊ

वृत्त/खण्ड लो0 नि0 वि0 C.D-मेरठ/C.D-2 गांवा

Arunesh 1174 को उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु।

(सि-कमानुमाट)

02/05/24  
कृते मुख्य अभियन्ता (पि0नि0)  
लो0 नि0 वि0, मेरठ

I/550486/2024

तत्काल/समयबद्ध  
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,  
संयुक्त सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14

लखनऊ: दिनांक अप्रैल, 2024

विषय:- ओ0 ए0 संख्या- 238/2024 UP gives permission to fell 112000 trees for road along Upper Ganga Canal में मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने तथा प्रकरण में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को आवद्ध किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक न्याय (रिट विधि मंत्रणा) अनुभाग-6 के पत्र संख्या-आई/548422/2024, दिनांक 26.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- न्याय (रिट विधि मंत्रणा) अनुभाग-6 के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में लोक निर्माण विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने एवं प्रभावी पैरवी करने हेतु श्री अंकित वर्मा, शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को आवद्ध करते हुए वकालतनामा निर्गत कर दिया गया है।

3- अतः न्याय (रिट विधि मंत्रणा) अनुभाग-6 के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.04.2024 द्वारा निर्गत आदेश एवं वकालतनामा की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, एन0जी0टी0, नई दिल्ली से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष विभाग का पक्ष प्रस्तुत कराने तथा प्रकरण में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के लिये संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकरण में तात्कालिकता एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,

(नीरजा सक्सेना)

Digitally Signed by नीरजा  
सक्सेनाDate: 29-04-2024 18:14:09  
Reason: Approved

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन, (विधि प्रकोष्ठ) मा0 उच्चतम न्यायालय, 8 वीं चतुर्थ मार्ग, नई दिल्ली।
2. श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, मेरठ/सहारनपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ एवं सहारनपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (याद), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (ई-3) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नीरजा सक्सेना)

संयुक्त सचिव।



संख्या-372/2020/182(आ)/23-11-2020-1/2(203)/2019

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
30प0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के नव निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-4168नि/116-01नि/19-2020, दिनांक 18-03-2020 एवं पत्र संख्या-750नि0/116-01नि0/19-20, दिनांक 09-09-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा (कम्प्यूटर संख्या-जीएच11 वाई00154, घोषणा संख्या-वाई0ए0एन0-17/2018, घोषणा दिनांक 28-05-2018) से आच्छादित जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के नव निर्माण कार्य की आंकलित लागत ₹0 62874.26 लाख (रुपये छः अरब अट्ठाईस करोड़ चौहत्तर लाख छत्वीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत के सापेक्ष कुल ₹0 10000.00 लाख (रुपया एक अरब मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहरूप स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मुजफ्फर नगर, मेरठ, गाजियाबाद	जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के नव निर्माण का कार्य।	62874.26	10000.00

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार अर्पित का व्यय की जायेगी तथा अर्पित धनराशि बैंक/साक्षर में नहीं राकी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय पत्रोंक दशा में किया जायेगा।
- (5) अधिष्ठात व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/अर्पित की जा रही धनराशि के मापक जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठात व्यय की धनराशि दिनांक (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सो-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के माथ पट्टिन शासनादेश सो-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विन्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में पदशित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक 1054-सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रमार्ग की वसूली में जमा की जायेगी।
- (6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (7) मूल्य ह्रास तिथि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (8) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) प्रश्नगत परियोजना कार्य हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय विलयेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (10) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विपुत विभाग के विपुत लाईन, विजली के चम्मे की शिफ्टिंग का कार्यों की लागत वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त देय होगी।
- (11) वन विभाग सम्बन्धी कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के अनुसार प्रस्तावित लागत के यथावत सम्मिलित कर लिया गया है परन्तु निर्माण के समय वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही करेंगे।
- (12) प्रायोजना में जनपद गुजपफरनगर में 1.05 हे० भूमि का क्रय किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु जिलाधिकारी गुजपफरनगर द्वारा अनुमन्य सर्किल दरों को प्रयुक्त किया गया है। भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।
- (13) जनपद मेरठ में जल विपुत निगम के भवन (170.35 ब०मी०) हस्तान्तरण हेतु लागत ₹० 28.67 लाख प्रस्तावित की गयी है। इस धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।
- (14) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।
- (15) प्रस्तावित कार्यों की द्विराप्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है और इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://maharashtra.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (16) वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/वी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों व अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- पश्तगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-राउको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-16-गंग नहर की टांघी पटरी का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या-ई-8-2539/दस-2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

संख्या-372/2020/182(अ)(1)/23-11-2020-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
- 4- सम्यन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 5- वित्त नियंत्रक लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 7- सम्यन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, 30प्र0 शासन।
- 9- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।
- 10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, 30प्र0 शासन।
- 12- डेटा सेल, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।  
१५.

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट <http://shasanadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UP-0129/2021

## 1. Location of the project/Scheme : Uttar Pradesh

- (i) State / Union Territory : Uttar Pradesh  
(ii) District : Muzaffarnagar, Meerut, Ghaziabad  
(iii) Forest Division : Social Forestry Division Muzaffarnagar, Social Forestry Division Meerut, Social Forestry Division Ghaziabad  
(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 222.98  
(v) Category of the Proposal: Road

## 2. Legal status of forest land proposed for diversion

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Social Forestry Division Ghaziabad	24.7	Protected Forest
2	Social Forestry Division Meerut	84.6	Protected Forest
3	Social Forestry Division Muzaffarnagar	113.68	Protected Forest
Total		222.98	

## Division 1. : Social Forestry Division Ghaziabad

## 3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Ghaziabad	24.7
Total		24.7

## 4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

## (i) Density of vegetation

S. No.	Area(In ha.)	Density	Eco-Class
1	24.7	0.8	Eco 3
Total.		24.7	

## (ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Acacia Catechu	khair	0	14	0	0	0	0
2	Butea Monosperma	Dhaak	0	2	0	1	2	0
3	Prosopis Juliflora	Prosopis	0	409	53	18	12	15
4	Jatropha Curcas	Jatrupa	0	67	2	0	0	0
5	Terminalia Bellarica	Baheda	0	52	62	19	4	0
6	Zizyphus Jujuba	Ber	0	7	7	2	0	0
7	Albizia Procera	siras	83	25	37	9	2	0
8	Prosopis Juliflora	jaad	0	25	4	0	0	0
9	Kiggelia Pinnata	balam kheera	0	2	0	0	0	0
10	Aegle Marmelos	belpatthar	0	3	4	1	0	0
11	Melia Azadirachta	bakayan	0	12	30	5	2	3
12	Dalburgia Sisoo	shisham	7730	981	98	59	13	5
13	Pongamia Pinnata	Kanji	6363	419	117	57	20	4

14	Terminalia Arjuna	Arjun	200	7	3	0	9
15	Ficus Lacor	Pilkhan	2228	30	4	1	1
16	Syzigium Cumini	Jamun	785	12	3	2	0
17	Acacia Auriculiformis	Akesia	2000	225	4	0	0
18	Pterospermum Acerifolia	Kanak Champa	170	0	0	0	0
19	Bauhinia Parviflora	Kachnar	200	14	34	24	0
20	Eucalyptus	Eucalyptus	2000	38	63	47	15
21	Tectona Grandis	Sagaun	1918	276	45	8	0
22	C.Siamia	kesiya syamiya	100	36	11	10	2
23	Azadirachta Indica	Neem	20	22	11	17	5
24	Holoptelia integrifolia	Chilbil	949	8	1	0	0
25	Ficus Bengalensis	Bargad	55	0	0	0	3
26	Ficus Religiosa	Peepal	125	13	2	0	4
27	Acacia Nilotica	Babool	20	14	2	1	0
28	Others	other	196	114	94	58	17
Total			25142	2828	695	342	102
Sub Total (No of Trees.)			29164				

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

Strip Plantation working circle.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : No Soil Erosion.

7.

Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : No

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

Patch Wise Details

S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
------	---------------	---------	--------------	--------	----------	--------------------

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

- (i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

1	Lalitpur	BAGHORA	7.66	810/3 AND 817		
2	Lalitpur	BAGHORA	17.7	15 ,16 AND 17		
3	Lalitpur	KAPASI	16	251		
4	Lalitpur	jakhlon	20.3	606/4		
5	Lalitpur	jakhlon	9.74	532/1		
6	Lalitpur	jakhlon	2.4	523		
7	Lalitpur	jakhlon	18	752		
8	Lalitpur	dhoujhari	2.24	302/2		
9	Lalitpur	dhoujari	90.5	27		
10	Lalitpur	dhoujori	30.2	26		
11	Lalitpur	baghora	6.71	739 and 740		
12	Lalitpur	baghora	8.1	228		

- (ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:
- (iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:
- (iv). Copy of CA scheme details: NA
- (iv). Copy of CA scheme details: NA

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

Additional Information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		Kshtipurak Praman Patra
2		Laambhawit Praman Patra
3		No wildlife Praman Patra
4		No wildlife Praman Patra
5		No work started Praman Patra
6		NPV Praman Patra
7		Stambh Praman Patra
8		FRA Praman Patra
9		Van Swroop Praman Patra
10		Sanyukt nirikshan report
11		DFO Site inspection GZB

Division 2. : Social Forestry Division Meerut

## 3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Meerut	84.6
Total		84.6

## 4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

## (i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	84.6	0.4	Eco 3
Total.			

## (ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Acacia Catechu	kher	132	426	69	9	2	0
2	Acacia Nilotica	Babool	0	2	0	0	0	0
3	Albezzia Labbeck	Siris	195	113	20	19	20	21
4	Bombax Ceiba	Semal	159	152	91	82	58	109
5	Ailanthus excelsa	Aroo	2	14	13	17	4	20
6	Alstonia Scholaris	Alstonia	0	0	0	0	1	2
7	Azadirachta Indica	Neem	71	29	17	13	7	3
8	Cassia Siamea	Kesiya Shemiya	254	70	24	39	31	11
9	Cassia Fistula	Amaltass	7	54	16	7	1	2
10	Dalburgia Sisoo	Sheesham	9830	1533	143	56	30	22
11	Eucalyptus	Eucalyptus	4525	422	336	258	93	66
12	Tooni Cedrela	Tun	221	31	3	1	3	0
13	Others	Gutel	15	93	20	4	0	0
14	Others	Kathsagon	444	919	206	50	16	3
15	Moringa oleifera	Sehjan	383	2	3	0	0	0
16	Calistemon Lanceolatus	Botal Brush	0	1	8	0	0	0
17	Tamarindus Indica	Imali	32	0	1	0	0	0
18	Saraca Asoca	Ashok	1	9	1	0	0	0
19	Others	Putranjeeva	2	0	1	0	0	0
20	Others	Goolar	5	5	8	2	1	8
21	Poplus	Popular	0	3	0	0	0	0
22	Psidium Guajava	Amrood	3	4	0	0	0	0
23	Butea Monosperma	Dhak	0	1	0	0	0	0
24	Others	Kadam	0	0	0	1	1	0
25	Others	Keekar	1	0	0	0	0	0
26	Others	Subabool	1	1	0	1	1	0
27	Others	Kokat	89	113	19	3	0	2
28	Prosopis Juliflora	Prosopis juliflora	93	455	214	181	103	57
29	Others	Bisandu	5	5	2	0	0	0
30	Others	Khajoor	1680	0	0	0	0	0
31	Ficus Religiosa	Peepal	1	1	2	0	1	9
32	Dendrocalamus Strictus	Bans	5400	0	0	0	0	0
33	Mangifera Indica	Aam	4	36	57	38	24	19
34	Melia Azadirachta	Bakayan	15	30	7	7	1	1
35	Others	Pilkhan	2	6	6	0	2	4
36	Aegle Marmelos	Bel	5	14	8	4	1	1
37	Ficus Bengalensis	Bargad	0	1	2	5	0	9
38	Holoptolia Integrifolia	Papdi	400	585	130	88	34	16
39	Pongamia Pinnata	Kanji	10882	879	177	163	63	28
40	Syzigium Cumini	Jamun	6592	51	68	55	64	42

41	Terminalia Arjuna	Arjun	2125	92	95	137	98	71
42	Terminalia bellerica	Baheda	473	38	25	17	8	11
43	Tectona Grandis	Sagon	7179	1981	824	197	30	6
44	Others	Ber	21	38	0	0	0	0
45	Others	Rehta (Lisoda)	8	19	1	1	1	1
46	Delonix Regia	Gold Mohar	637	0	2	1	0	0
47	Others	Khadal Badal (Badal)	0	4	0	0	0	0
48	Madhuca indica	Mahuva	0	1	0	0	0	0
49	Others	Shehtoot	9	24	5	3	1	0
50	Others	Aanvla	11	8	2	2	0	0
51	Acacia Ariciliformis	Acacia Auriculiformis	125	32	6	0	0	0
52	Others	Kachnar	2	5	21	10	7	5
53	Others	Jangal Jalebi	952	6	1	0	0	3
Total			52993	8308	2654	1471	707	552
Sub Total (No of Trees.)			66685					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : strip plantation circle

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : no Erosion vulnerability as such.

7.

Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :

11

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : NA

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

Patch Wise Details

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

## 11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

## 12. Whether work in violation is still in progress(Yes/No) : NIL

## 13. Details of compensatory afforestation scheme

- (i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Lalitpur	BAGHORA	7.66	810/3 AND 817		
2	Lalitpur	BAGHORA	17.7	15 ,16 AND 17		
3	Lalitpur	KAPASI	16	251		
4	Lalitpur	jakhlon	20.3	606/4		
5	Lalitpur	jakhlon	9.74	532/1		
6	Lalitpur	jakhlon	2.4	523		
7	Lalitpur	jakhlon	18	752		
8	Lalitpur	dhoujhari	2.24	302/2		
9	Lalitpur	dhoujari	90.5	27		
10	Lalitpur	dhoujori	30.2	26		
11	Lalitpur	baghora	6.71	.739 and 740		
12	Lalitpur	baghora	8.1	228		

- (ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:
- (iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:
- (iv). Copy of CA scheme details: NA
- (iv). Copy of CA scheme details: NA

## Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

## Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		chainagewise area calculation meerut
2		forest land as per approved layout plan meerut
3		muck disposal meerut
4		task force certificate meerut
5		FRA certificate meerut
6		joint survey report meerut
7		certificate of npv meerut
8		plant and tree summery meerut
9		cross section meerut
10		girthwise plant and tree summary meerut
11		non forest land as per approved layout plan meerut
12		MEERUT rectified NPV calculation doc( delete old one )
13		additional npv undertaking meerut
14		certificate for perposal submission meerut
15		undertaking of flora and fauna meerut
16		detailed plant and tree summery meerut

17		npv calculation meerut
18		van savroop certificate meerut
19		npv payment certificate meerut
20		Beneficiary village certificate meerut
21		npv calculation meerut
22		parisumpatti nirman undertaking meerut
23		plants summery meerut
24		sanctuary national park certificate meerut
25		van savroop certificate meerut
26		TREE LIST MEERUT
27		npv payment certificate meerut

## Division 3. : Social Forestry Division Muzaffarnagar

## 3. District wise area to be diverted In the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Muzaffarnagar	113.68
Total		113.68

## 4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

## (i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	113.68	0.3	Eco 3
Total.	113.68		

## (ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Psidium Guajava	amrood	0	6	1	0	0	0
2	Cassia Fistula	amaltas	8	124	105	124	52	26
3	Lagerstroemia Parviflora	arru	0	0	0	0	2	0
4	Terminalia Arjuna	arjun	7	30	100	191	148	116
5	Saraca Asoca	ashok	19	65	21	13	3	1
6	Mangifera Indica	aam	0	1	19	17	7	6
7	embelica officinalis	ambla	1	448	128	7	0	0
8	Alstonia Scholaris	alestronia	0	0	0	0	1	1
9	Kiggelia Pinnata	kanji	38	554	238	327	105	38
10	Bauhinia Parviflora	kashnar	1	29	13	20	5	1
11	Holoptelia integrifolia	katsagon	167	1385	246	58	15	1
12	Artocarpus Heterophyllus	kathal	0	1	2	1	0	1
13	Pterospermum Acerifolia	kanakchampa	3	10	0	0	0	0
14	Samania Saman	casia semia	0	0	0	0	1	0
15	Marri	kokat	93	711	297	266	147	165
16	Acacia Catechu	khair	8	150	67	16	1	1
17	Tabubia Avalanda	gutail	0	10	13	0	2	3
18	Delonix Regia	gulmohar	0	0	0	1	1	2
19	Ficus Racemosa	gular	0	4	5	4	0	5
20	Chukrasia Tabularis	chakrasia	0	0	2	1	0	1
21	Pine	cheed	0	1	0	1	0	0



- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area :  
No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, If any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progress(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

- (i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

S.no	District Name	Village	Area(In ha.)	Khasra	KML file	Present Owner file
1	Lalitpur	BAGHORA	7.66	810/3 AND 817		
2	Lalitpur	BAGHORA	17.7	15 ,16 AND 17		
3	Lalitpur	KAPASI	16	251		
4	Lalitpur	jakhlon	20.3	606/4		
5	Lalitpur	jakhlon	9.74	532/1		
6	Lalitpur	jakhlon	2.4	523		
7	Lalitpur	jakhlon	18	752		
8	Lalitpur	dhoujharl	2.24	302/2		
9	Lalitpur	dhoujari	90.5	27		
10	Lalitpur	dhoujori	30.2	26		
11	Lalitpur	baghora	6.71	739 and 740		
12	Lalitpur	baghora	8.1	228		

- (ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

- (iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:

- (iv). Copy of CA scheme details:

- (iv). Copy of CA scheme details: NA

Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)

Patch Wise Details								Compartment No./any Identification No.	KML file of patch
S.no	Division Name	Patch No.	Area(in ha.)	Name of PF/RF Range	Village Name	Survey No.			

1	Forest Division Mirzapur	1	84.00	GHORI VAN BLOCK	Patnaha	GHORI	63L/5	GHORI VAN BLOCK	
2	Forest Division Mirzapur	2	40.00	BABURA COMPARTMENT	Dramandganj	MAHUGADI	53K/8	BABURA CAMPRTMENT-2	
3	Forest Division Mirzapur	3	66.50	DATI COMPARTMENT	Wyndhamphal	SURYAWAR	63K/12	DATI COMPARTMENT-1	
4	Social Forestry Division Lalitpur	8	40.00	BALABEHAT	Gauna	BALABEHAT	54L/5	BALABEHAT	
5	Social Forestry Division Lalitpur	9	20.0	SAHAPUR	Talbehat	SAHAPUR	5K/12	SAHAPUR	
6	Social Forestry Division Lalitpur	10	26.84	PAWA	Talbehat	PAWA	5K/12	PAWA	
7	Forest Division Sonbhadra	7	24.7	MANCHI	manchi	MANCHI	63P/6	MANCHI C.N.8	
8	Forest Division Sonbhadra	4	18.5	PATNA	patna	PATNA	63P/6	PATNA COMPARTMENT -6	
9	Forest Division Sonbhadra	11	30.00	ROP C.N-2	churk	ROP	63P/2	ROP C.N-2	
10	Social Forestry Division Lalitpur	12	13.3	BAGHORA KH-15 16 17 NFL	Bar	BAGHORA	54K/11	BAGHORA KH-15 16 17 NFL	
11	Social Forestry Division Lalitpur	13	5.21	BAGHORA KH-739 740 NFL	Bar	BAGHORA	54K/11	BAGHORA KH-739 740 NFL	
12	Social Forestry Division Lalitpur	14	6.71	BAGHORA KH-228 NFL	Bar	BAGHORA KH-228 NFL	54k/11	BAGHORA KH-228 NFL	
13	Social Forestry Division Lalitpur	15	16.00	KAPASI KH-251	Lalitpur	KAPASI	54L/11	KAPASI KH-251	
14	Forest Division Sonbhadra	5	25.3	ROP	churk	ROP	63P/2	ROP C.N.3	
15	Forest Division Sonbhadra	6	26.6	DEVRI	manchi	DEVRI	63P/6	DEVRI C.N. 3	

- (i). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:
- (ii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:
- (iii). Copy of CA scheme details:
- (iv). Total Financial Outlay for C.A: 924.47614
- (v). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from management point of view?: Yes

S. No.	Documents	Remarks
--------	-----------	---------

- (vi). Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view:
- (vii). Copy of detailed CA scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc.:

## Additional information Details

1	<input type="checkbox"/>	MOEF EDS COMPLIANCE 08aug2022
2	<input type="checkbox"/>	all geo ref maps
3	<input type="checkbox"/>	all toposhets
4	<input type="checkbox"/>	NFL VIP GO LETR LALITPUR
5	<input type="checkbox"/>	MOEF EDS 06-12-2022 COMPLIANCE
6	<input type="checkbox"/>	moef eds 21.09.2021 compliance
7	<input type="checkbox"/>	16873 TREE BADHAK SUMMRY MZN DIV
8	<input type="checkbox"/>	MORNA RANGE BADHAK TREE
9	<input type="checkbox"/>	MZN RANGE BADHAK TREE
10	<input type="checkbox"/>	GUDGET NOTIFICATION MZN
11	<input type="checkbox"/>	MZN DIV JOINT INSPECTION
12	<input type="checkbox"/>	1980 VACHNBADHTA
13	<input type="checkbox"/>	MZN NON FOREST AREA CALULATION
14	<input type="checkbox"/>	MZN CAHINAGE WISE CALCULATION PF
15	<input type="checkbox"/>	MZN PRASTAV PARIKSHAN PRAMAN PATR
16	<input type="checkbox"/>	MZN VAN SWAROOP
17	<input type="checkbox"/>	MZN 1980 ULLANGHAN N HONE
18	<input type="checkbox"/>	JANSATH RANGE BADHAK TREE
19	<input type="checkbox"/>	MZN PLANTATION COST
20	<input type="checkbox"/>	18 03.2010 MZN DIV
21	<input type="checkbox"/>	MZN NPV CALCULATION
22	<input type="checkbox"/>	ROW MZN DIV
23	<input type="checkbox"/>	MZN FOREST AREA CALCULATION
24	<input type="checkbox"/>	MZN NURSERY COST
25	<input type="checkbox"/>	MZN SANCTURY CALCULATION
26	<input type="checkbox"/>	FRA 2006
27	<input type="checkbox"/>	DSS REPORT SONBHADRA AND LALITPUR DIV CA LAND
28	<input type="checkbox"/>	moef eds 21.09.2021 compliance

## 14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on (date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Muzaffarnagar	400800	6199	121.9228	36	339.67	01/07/2021	339.67	17.50
2	Meerut	259000	6763	110.48	32	306.19	31/05/2021	248.9	6.34
3	Ghaziabad	45060	651.30	60	48	18.16	08/07/2021	18.16	4.48

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site Inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site Inspection report	Date of visit
Social Forestry Division Meerut	Meerut Circle Meerut	DFO	Yes	One		16/04/2021
Social Forestry Division Muzaffarnagar	Saharanpur Circle Saharanpur	DFO	Yes	One		25/06/2021
	Saharanpur Circle Saharanpur	CF	Yes	One		20/07/2021
Social Forestry Division Ghaziabad	Meerut Circle Meerut	DFO	Yes	One		18/04/2021
	Meerut Circle Meerut	CF	Yes	One		20/07/2021

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Social Forestry Division Ghaziabad	Meerut Circle Meerut	DFO	Recommended	Recommended.		
Social Forestry Division Meerut	Meerut Circle Meerut	DFO	Recommended	Maximize trans plantation to minimize cutting of plants/trees, pillared demarcation of protected forest boundaries, maximize tree cover along PWD roads in meerut. try to maximize plantation on between existing kaccha patri and proposed permanent road		
Social Forestry Division Muzaffarnagar	Saharanpur Circle Saharanpur	DFO	Recommended	RECOMMENDED.		

	Meerut Circle Meerut	CF	Recommended	The proposal is recommended in public interest		Yes
	Saharanpur Circle Saharanpur	CF	Recommended	RECOMMENDED in Public interest		Yes
		Nodal Officer	Recommended	Recommended for approval.		

### Specific recommendation of the State Government(Part V)

17.

Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason ( Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttar Pradesh	State Secretary	Recommended	17/08/2021	1278/81 2 2021 800 123 /2021	State Govt. Officer	No Data	

17.

### Stage-I Clearance Report

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Lucknow	Regional Office	8B/UP/06/221/2021/FC	28/02/2023	

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Reclived Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
FP/UP/ROAD/121197/2021	ROAD1211972021209	245530667	245531000	20 Jan 2024	RBI0212419665937	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	
FP/UP/ROAD/121197/2021	ROAD1211972021395	226776000	226776000	30 Sep 2023	182736	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	
FP/UP/ROAD/121197/2021	ROAD1211972021278	26840000	26840000	17 Aug 2023	84985	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	
FP/UP/ROAD/121197/2021	ROAD1211972021237	83160000	83160000	21 Jul 2023	42619	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	

23. Stage-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UP/ROAD/121197/2021		Approved In-Principle	No Data

Print



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, गंगा तट, अण्डा-एच, अलीगढ़, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc2.ilo-mef@gov.in, goimoe@ilko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/सू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/१३०

दिनांक: 28.02.2023

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, वापू भवन, लखनऊ।

**Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021**

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 2478/11-सी-FP/UP/Road/ 121197/2021 दिनांक 01.02.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रकरण को दिनांक 20.02.2023 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की द्वितीय बैठक के तमक्ष (Agenda Item 2.3 U.P.) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था, क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over an area of 408.06 ha (41.22 ha non-forest land (16.00 ha of Gata No.251/4, Village Kapasi, Range & District Lalitpur, 13.30 ha of Gata No.15, 16 & 17, Village Baghaura, Range Baar, District Lalitpur, 6.71 ha of Gata No.228, Village Baghaura, Range Baar, District Lalitpur & 5.21 ha of Gata No. 739 & 740, Range Baar, District Lalitpur) and 366.84 ha degraded forest land (66.50 ha of Daati Compartment No.1 (Suryavar), Range Vindhampal, District Mirzapur, 40.00 ha of Babura Compartment No.1 (Mahugarhi), Range Dramandganj, District Mirzapur, 84.00 ha of Ghori Compartment No.2 (Jahdar), Range Patchara, District Mirzapur, 40.00 ha of Balabehat Forest Block, Range Gauna, District Lalitpur, 20.00 ha of Shahpur Forest Block, Range Talbehat, District Lalitpur, 26.84 ha of Pawa Forest Block, Range Talbehat, District Lalitpur, 18.00 ha of Compartment No.6, Patna Forest Block, Range Patna, District Sonbhadra, 20.00 ha of Compartment No.2, Roup Forest Block, Range Churk, District Sonbhadra, 20.00 ha of Compartment No.3, Roup Forest Block, Range Churk, District Sonbhadra, 20.00 ha of

Compartment No.8, Machi Forest Block, Range Machi, District Sonbhadra & 20.00 ha of Compartment No.3, Devri Forest Block, Range Machi, District Sonbhadra)) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

3. The non-forest land which is unsuitable for plantation should be taken up for protection and assisted afforestation in the available space using necessary cultural operation technique.
4. Road side plantation/block plantation should be taken up in any of the three affected districts in the proposal to compensate for loss of tree cover.
5. The non-forest land of 223.00 ha in district Lalitpur proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 222.98 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 112722 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. Certificate of 'No violation' of FCA from concerned DFOs shall be provided.
9. Plantation shall be raised on both sides of the road and median by the State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015. Scheme for roadside plantation shall be submitted.
10. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
11. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
14. No labour camp shall be established on the forest land.
15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
22. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (<https://parivesh.nic.in/>).
26. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (विभागाध्यक्ष), उ०प्र० वन विभाग, 17, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर ।

कार्यालय पता :- विकास भवन सं. 40/1 मुजफ्फरनगर, पंजाब/दरभंगा जिला 8131 - 792149 ई-मेल: dfo@mujeffernagar.gov.in

पत्रांक :- 208 / 14-1 (FPP/UP/1/Load/121197/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक, 20.07.2023

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड

लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

विषय:-

घौधरी चरण सिंह, कापड़ राइड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कानाल की दायी पटरी कि०मी० चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.00 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.00 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 06005 वृक्ष/पीध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4184 वृक्ष एवं 25000 पीधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पीधों के घातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-(FPP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

सन्दर्भ:-

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-8वी०/ यू०पी०/०८/221/2021/एफ० सी०/830 दिनांक-28.02.2023(सैद्धान्तिक स्वीकृति) एवं पत्रांक 8वी०/ यू०पी०/०८/221/2021/एफ० सी०/180 दिनांक- 12.08.2023(सैद्धान्तिक स्वीकृति की अतिरिक्त शर्त), इस कार्यालय का पत्रांक 3327/14-1 दिनांक 20.03.2023, आपका पत्रांक 1194/घौधरी चरण सिंह दिनांक 20.08.2023, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 4008/11-सी दिनांक 21.08.2023, एवं पत्रांक-4111/11-सी०, दि०- 03.07.2023 एवं अधिशारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, मेरठ का पत्रांक-293/घौधरी चरण सिंह, दि०-05.07.2023 एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद का पत्रांक-305/14-1, दि०-26.07.2023।

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 28.02.2023 जो अघोहस्ताक्षरी के साथ-साथ आपको पृष्ठांकित भी है, के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज-1)जारी की गयी है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी सोनमद ने अपने पत्रांक-1433/सोनमद/33 दिनांक 06.03.2023, प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर ने अपने पत्रांक-2786/मिर्जापुर/15 दिनांक 04.03.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3654/13-1 दिनांक 14.03.2023 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के पत्रांक 5150/14-1 दिनांक 02.03.2023, पत्रांक 5300/14-1 दिनांक 15.03.2023, पत्रांक-166/14-1, दि०-12.07.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के पत्रांक 305/14-1 दिनांक 26.07.2023, पत्रांक-155/14-1, दि०-13.07.2023 द्वारा एन०पी०वी०, वन विभाग की परिसम्पत्तियों, ब्लॉक वृक्षारोपण एवं मार्ग किनारे वृक्षारोपण की घनराशि की मांग प्रेषित की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4, 6 व 7 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक- 12.06.2023 के क्रम में प्रस्ताव के सापेक्ष ब्लॉक वृक्षारोपण, क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० व अन्य मदों की घनराशि निम्नानुसार है-

शर्त सं०	वन प्रभाग	भूमि का प्रकार	रेज का नाम	स्थल का नाम	क्षेत्रफल(हे०में)	घनराशि रूपये में	घनराशि का योग (रु०में)					
शर्त संख्या-6 (क्षतिपूरक वनीकरण)	सोनमद वन प्रभाग	अवनत वन भूमि	चुर्क रेज	रोप क०न०-2	20	5651200	26982200.00	प्रयोज्य एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से				
				रोप क०न०-3	20	5629300						
			माँची रेज	माँची क०न०-8	20	5688200						
				देवरी क०न०-3	20	5598800						
	मिर्जापुर वन प्रभाग	अवनत वन भूमि	पटना रेज	पटना क०न०-6	18	4414700			32867458	32867458.00		
				विण्डमफाल रेज	दौली क०न०-1 (सूर्यवार)	66.50					12709246	12709246.00
				ड्रमण्डगंज रेज	बयुरा क०न०-1 (महुगढी)	40.00						
	पटेहरा रेज	घोरी क०न०-1 (जहदर)	84.00									
	ललितपुर वन प्रभाग	गैर वन भूमि	योग	वार	बघोरा गाटा सं० 228	6.71			2360231			
				वार	बघोरा गाटा सं० 739 व 740	5.21			2161238			
वार				बघोरा गाटा सं० 15,16 एवं 17	13.30	3533623						
ललितपुर				कपासी गाटा सं० 251	16.00	4654154						
		योग			41.22	12709246	12709246.00					

अवगत वन भूमि	गोना	घातावेहट	40.00	10194634	
	तालावेहट	शाहपुर	20.00	5568527	
	तालावेहट	पया	26.84	7612019	
	योग		86.84	23375180	23375180.00
पुष्करोपण हेतु अगजपयुक्त पानी मधी गैर वन भूमि मे ए०९-१० आर० पीयारोपण कार्य हेतु धनराशि	सलितपुर	पीजरी गाटा र०-302/1	2.24	6218100	
	सलितपुर	पीजरी गाटा र०-20/1	30.20	20437000	
	सलितपुर	पीजरी गाटा र०-27/1	90.50	70350200	
	सलितपुर	जाखलीन गाटा र०-752/4/1	18.00	14495100	
	सलितपुर	जाखलीन गाटा र०-600/4	20.30	16272200	
	सलितपुर	जाखलीन गाटा र०-632/1/2	9.74	10357500	
	सलितपुर	जाखलीन गाटा र०-623	2.40	6025900	
	सलितपुर	बपोत गाटा र०-810, 817	7.66	10683500	
	योग :-		181.04	155039500	155039500.00
क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि का कुल योग		कुल योग-			250973584.00
संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि ( भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2011- एफ०सी०(VOI-1) दिनांक-06.01.2022 के अनुपालन में बढ़ी हुई एन०पी०वी० (नई दर)					
शर्त संख्या-7 (एन०पी०वी० कि धनराशि)	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	113.68 हे०	957780.00 प्रति हे०	108880431.00	
	मेरठ वन प्रभाग	84.6 हे०	1228590.00 प्रति हे०	103938714.00	
	गाजियाबाद वन प्रभाग	24.7 हे०	1357110.00 प्रति हे०	33520617.00	
	एन०पी०वी० का कुल योग	222.98	-	246339762.00	246339762.00
शर्त संख्या-4	वन प्रभाग का नाम	रोपण क्षेत्र (हे०में)	रोपण का प्रकार	धनराशि	
(अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि)	मेरठ वन प्रभाग मेरठ	15.0 हे०	रोड साइड वृक्षारोपण / ब्लाक वृक्षारोपण / ड्रीगाईड वृक्षारोपण	18605220.00	
		वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर	2470 ब्रिक गाईड	10250500.00	
		वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के मिडियन पर	2058 ड्रीगाईड	6174000.00	
	परियोजना हेतु संबंधित जनपदों में अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु धनराशि का योग			35029720.00	35029720.00
					532343066.00
कैम्पा फण्ड के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली क्षतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त रोपण, एन०पी०वी० की धनराशि का योग					

परिसम्पत्तिया (संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक- 12. 06.2023 की शर्त सं 01 व 03 )	गाजियाबाद वन प्रभाग	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग गाजियाबाद की पत्र संख्या-305/ 14-1 दिनांक 20. 07.2023 द्वारा जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत प्रस्तावित संरक्षण के अन्तर्गत वन विभाग की परिसम्पत्तियों के संदर्भ में अद्यतन कराया गया है।	ग्रीन हाऊस, पालीहाऊस, हैण्डपम्प, शिंघाई नाली, बोरिंग एवं नई हाईटैक पीघशाला के निर्माण हेतु घनराशि	12596031.00	
			प्रस्तावित संरक्षण में आ रहे वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति	17515361.00	
	भैरठ वन प्रभाग	वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग संरक्षण में प्रभावित वृक्षारोपण	वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग संरक्षण में प्रभावित वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति	4627763.00	
		वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित संरक्षण में आ रहे भवन	सतपना रेंज परिसर की पुनः निर्माण हेतु घनराशि का आकलन (लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित)	9927000.00	
	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	विषयक परियोजना में प्रभावित होने वाली परिसम्पत्ति	परियोजना में प्रभावित मौरना रेंज के अन्तर्गत माजरा पीघशाला एवं मुजफ्फरनगर रेंज के अन्तर्गत वृक्षारोपण के संबंध में घनराशि उपलब्ध कराने की यत्नबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जोकि प्रस्ताव के भाग -2 में अपलोड है।	2150000.00	
		वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित संरक्षण में आ रहे भवन	वन घेतना केन्द्र खतोली पुनः निर्माण हेतु घनराशि का आकलन (लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित)	3147446.00	
				49963601.00	49963601.00
		कैम्पा फण्ड के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली क्षतिपूर्ति हकीकरण, अतिरिक्त रोपण की घनराशि का योग		582306667.00	582306667.00
		कैम्पा फण्ड के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली समस्त घनराशि का महायोग			

उपरोक्तानुसार घनराशि रुपये अट्ठावन करोड़ तेईस लाख छः हजार छः सौ सड़सठ मात्र की घनराशि प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न घालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार घालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2023 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की अतिरिक्त शर्तें भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्धताएँ इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रोत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके। विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें संख्या-9 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों के पातन हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 की शर्त संख्या-2 के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण व वन विभाग को जिन वृक्ष प्रजातियों को पातन न करके उन्हें निकाल कर विन्ही दूसरे स्थलों पर लगाया जा सकता है उनके सम्पूर्ण वृक्ष प्रत्यारोपण (EAT) प्रयोक्ता अभिकरण के ध्य पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। विषयक परियोजना में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 03.07.2023 द्वारा विषयक परियोजना के समस्त देयकों के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में विषयक परियोजना के सापेक्ष समस्त देयकों के भुगतान के उपरान्त संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(कैम्पा फण्ड)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक यानिकी प्रभाग,  
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 208 / 14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021) दिनांकित | By E-mail

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।  
 2-मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ ।  
 3-वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ ।  
 4-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, साधारनपुर वृत्त साधारनपुर ।

(कन्हैया पटेल)  
 प्रभागीय निदेशक  
 सामाजिक यानिकी प्रभाग,  
 मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 208 / 14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021) दिनांकित | By E-mail

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 एवं दिनांक 28.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, ललितपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2, शर्त संख्या-3, शर्त संख्या-5 (223.0 हे० गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम अमलदरामद एवं पी०एफ० / आर०एफ० घोषित करने के संबंध में), शर्त संख्या-6 एवं शर्त संख्या-24 के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, मिर्जापुर एवं सोनमद्र को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2, शर्त संख्या-6 एवं शर्त संख्या-24 के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1, मुजफ्फरनगर एवं निर्माण खण्ड-2 गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)  
 प्रभागीय निदेशक  
 सामाजिक यानिकी प्रभाग,  
 मुजफ्फरनगर।

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Project/Proposal Details	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
<p>FP/UP/ROAD/121197/2021 [./viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/121197/2021]</p> <p>Division of P.F. Land for Construction of Choudhary Charan Singh Kavid Marg on RHS side Shoulder of Upper Ganga Canal from Km Ch. 51.910 To Km Ch.163.40 in district- Muzaffar Nagar, Meerut.</p>	ROAD12119720212056	11211972056	28 Feb 2023	<p>CA: 127901304/- Addl CA : 0/-                      PCA: 0/- CAT : 0/-                      Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/-                      NPV: 77065762/- Parkampattiya 40563601/-                      Other Charges1 0/-                      Other Charges2 0/-                      Other Charges3 0/-                      Total : 245530667/-</p>	PAID	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 18 Jan 2024                      Bank Name : Union Bank Of India                      Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)                      Challan Generated On 18 Jan 2024                      Transaction Date : 20 Jan 2024</p>	<p>Demand Letter [./writereaddata/Fundpdf/150120241643460585_FPUPROAD1211972021_User]                      Generated Challan [./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pd=ROAD12119720212]</p>
<p>FP/UP/ROAD/121197/2021 [./viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/121197/2021]</p> <p>Division of P.F. Land for Construction of Choudhary Charan Singh Kavid Marg on RHS side Shoulder of Upper Ganga Canal from Km Ch. 51.910 To Km Ch.163.40 in district- Muzaffar Nagar, Meerut.</p>	ROAD12119720213956	11211973956	28 Feb 2023	<p>CA: 77495576/- Addl CA : 35029720/-                      PCA: 0/- CAT : 0/-                      Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/-                      NPV: 104850704/- Parkampattiya 9400000/-                      Other Charges1 0/-                      Other Charges2 0/-                      Other Charges3 0/-                      Total : 226776000/-</p>	PAID	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 29 Sep 2023                      Bank Name : Union Bank Of India                      Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)                      Challan Generated On 29 Sep 2023                      Transaction Date : 30 Sep 2023</p>	<p>Demand Letter [./writereaddata/Fundpdf/270920232036220668_FPUPROAD1211972021_User]                      Generated Challan [./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pd=ROAD12119720212]</p>
<p>FP/UP/ROAD/121197/2021 [./viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/121197/2021]</p> <p>Division of P.F. Land for Construction of Choudhary Charan Singh Kavid Marg on RHS side Shoulder of Upper Ganga Canal from Km Ch. 51.910 To Km Ch.163.40 in district- Muzaffar Nagar, Meerut.</p>	ROAD12119720212786	11211972786	28 Feb 2023	<p>CA: 12709246/- Addl CA : 0/-                      PCA: 0/- CAT : 0/-                      Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/-                      NPV: 14130754/- Parli Sampatiya : 0/-                      Other Charges1 0/-                      Other Charges2 0/-                      Other Charges3 0/-                      Total : 25540000/-</p>	PAID	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 09 Aug 2023                      Bank Name : Union Bank Of India                      Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)                      Challan Generated On 14 Aug 2023                      Transaction Date : 17 Aug 2023</p>	<p>Demand Letter [./writereaddata/Fundpdf/090820231730201103_FPUPROAD1211972021_User]                      Generated Challan [./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD12119720212]</p>
<p>FP/UP/ROAD/121197/2021 [./viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/121197/2021]</p> <p>Division of P.F. Land for Construction of Choudhary Charan Singh Kavid Marg on RHS side Shoulder of Upper Ganga Canal from Km Ch. 51.910 To Km Ch.163.40 in district- Muzaffar Nagar, Meerut.</p>	ROAD12119720212376	11211972376	28 Feb 2023	<p>CA: 32867456/- Addl CA : 0/-                      PCA: 0/- CAT : 0/-                      Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/-                      NPV: 50292542/- Other Charges : 0/-                      Other Charges1 0/-                      Other Charges2 0/-                      Other Charges3 0/-                      Total : 83160000/-</p>	PAID	<p>Fund Demand Verified by Nodal Officer On 19 Jul 2023                      Bank Name : Union Bank Of India                      Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)                      Challan Generated On 20 Jul 2023                      Transaction Date : 21 Jul 2023</p>	<p>Demand Letter [./writereaddata/Fundpdf/190720231249503653_FPUPROAD1211972021_User]                      Generated Challan [./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD12119720212]</p>

[\(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/\)](https://swachhbharat.mygov.in/)
[WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN](http://www.digitalindia.gov.in)
[\(HTTPS://DATA.GOV.IN/\)](https://data.gov.in/)  
[\(HTTPS://INDIA.GOV.IN/\)](https://india.gov.in/)
[\(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/\)](https://www.mygov.in/)
[\(HTTP://MEITY.GOV.IN/\)](http://meity.gov.in/)  
[\(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/\)](http://www.pmindia.gov.in/en/)
[\(HTTP://WWW.NIC.IN/\)](http://www.nic.in/)

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक-२२४ / 14-1 (FP/UP/Road/121197/2021), दिनांक, मुजफ्फरनगर २7/01/2024।

सेवा में,

अधिरासी अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
निर्माण खण्ड-1, मुजफ्फरनगर।

विषय:

चौधरी धरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पट्टी कि०मी० चैनैज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

सन्दर्भ:-

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक- 8वी०/सू०पी०/०6/221/एफ०सी०/930 दिनांक 28.02.2023 एवं अधिरासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ का कार्यालय पत्रांक-143/कावड नहर (दायी पट्टी), दिनांक-24.01.2024।

चौधरी धरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पट्टी कि०मी० चैनैज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में अधिरासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक-24.01.2024 द्वारा विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वनीकरण, एन०पी०पी०, अतिरिक्त क्षतिपूर्क वनीकरण की धनराशि, परिसम्पत्तियों की धनराशि रूपये-58,23,06,667.00 (अट्ठावन करोड़ तेईस लाख छः हजार छः सौ सठसठ मात्र) का भुगतान ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा किया जा चुका है एवं वन्य जीवों के सफल प्रबन्धन के लिए प्रत्येक वन प्रभाग हेतु मांग कि गयी धनराशि 1.5 करोड़ (रु० पचास लाख प्रति वन प्रभाग) में से रु० 50.00 लाख का भुगतान प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को किया जा चुका है। परन्तु सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद हेतु अवशेष धनराशि रूपये एक करोड़ का ऑनलाईन भुगतान वजतीय प्रणाली में कोषागार द्वारा Intra Treasury Transaction Payment का निराकरण/विकल्प होते ही भुगतान की कार्यवाही अग्रिम 01 माह में लो०नि०वि० के सम्बन्धित जनपद/खण्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

विषयक परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आछादित होने के कारण अधिरासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, निर्माण खण्ड, मेरठ द्वारा मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन सम्बन्धी कार्यवाही (लॉट वन निगम हेतु) एवं कार्य अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि पर बाधक 16873 वृक्षों के पातन एवं अस्थायी कार्यानुमति उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या मा०स० 68/14-2-2014-800(95)/2014 टी०सी०-1, दिनांक-16.07.2015 एवं भारत सरकार द्वारा दिनांक-28.02.2023 को निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 22 'Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission'. के अनुपालन में निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कि जाती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-28.02.2023 में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-28.02.2023 में उल्लेखित शर्त संख्या 01 से 26 तक कि अनुपालना यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. वन्य जीवों के सफल प्रबन्धन हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद हेतु अवशेष धनराशि रूपये एक करोड़ का भुगतान 01 माह के भीतर न होने कि दशा में उक्त कार्यानुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
4. परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से 02 दिवस पूर्व कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत प्रत्येक 15 दिवस के भीतर परियोजना में निर्माण कार्य एवं वृक्षों के पातन कि प्रगति से सम्बन्धित संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. परियोजना में निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों/ठेकेदारों/श्रमिकों एवं परियोजना के जुड़े व्यक्ति विशेष द्वारा वन सम्पदा एवं वन्य जीवों को क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। उक्त का उल्लंघन होने कि दशा में प्रयोक्ता अभिकरण/कार्य करने वाली संस्था पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
7. परियोजना में निर्माण कार्य के दौरान भूमिगत ओ०एफ० केबल, रीवर पेपजल, विद्युत लाईन तथा टेलीफोन लाईन में किसी भी प्रकार कि क्षति के लिए प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

8. प्रश्नगत मार्ग पट्टरी की भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

संलग्नक - यथोपरि।

संख्या- १११८ / 14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021) उक्तदिनांकित।  
प्रतिलिपि जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुजफ्फरनगर।

संख्या- २२११ / 14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021) उक्तदिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक-24.01.2024 के अनुरोध के क्रम में।
6. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ व गाजियाबाद।
7. क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर, मोरना एवं जानसठ को इस आशय से प्रेषित कि परियोजना में बाधक समस्त वृक्षों का त्रुटिरहित छपान कर लॉट अविलम्ब इस कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं लॉटों में वृक्षों के पातन के समय सुरक्षित वृक्षों को किसी प्रकार कि क्षति न होने पाये।

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुजफ्फरनगर।

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुजफ्फरनगर।

o/k

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

पत्रांक - 3011 /14-1, दिनांक मेरठ, 24 जनवरी, 2024

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
मेरठ।

विषय:- चौधरी घरणसिंह कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दाईं पटरी कि०मी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुज़फ्फरनगर वन प्रभाग में 113.86 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाज़ियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुज़फ्फरनगर वन प्रभाग में 18,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे (24,223 वृक्ष तथा 42,462 पौधे) एवं गाज़ियाबाद वन प्रभाग में (4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे) 29,164 वृक्ष/पौधे अर्थात् कुल 1,12722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।  
प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/121197/2021

सन्दर्भ:- 1-भारत सरकार 1-पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8वीं/यू०पी०/०६/221/2021 /एफ०सी०/930, दिनांक-28.02.2023.

2-आपका पत्रांक-143/कांवड़ नहर/दांयी पटरी, दिनांक-24.01.2024.

महोदय,

अपने कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने चौधरी घरणसिंह कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दाईं पटरी कि०मी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुज़फ्फरनगर वन प्रभाग में 113.86 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाज़ियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि पर प्रस्तावित कार्य करने की अनुमति अर्थात् कार्यानुमति Working Permission की अपेक्षा की गयी है।

जिन लीनियर प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उन लीनियर प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण अनुभाग), नई दिल्ली के पत्र सं०-11-306/2014 एफ०सी० दिनांक 08.08.2014 एवं पत्र संख्या-11-306/2014-एफ०सी० दिनांक-15.01.2015 तथा उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 3678/14-2-20147-800(95)/2014 टीसी-1, दिनांक-20.01.2015 व पत्र संख्या भा.स 68/14-2-2014-800(95)/2014 टीसी-1, दिनांक-16.07.2015 में दिये गये निर्देशों के तहत Working Permission जारी की जा सकती है। इस हेतु उ०प्र० शासन ने शासनादेश/पत्र संख्या भा.स. 68/14-2-2014-800(95)/2014टीसी-1, दिनांक-16.07.2015 के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति ( Working Permission ) प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 3678/14-2-2014-800(95)/2014 टीसी-1, दिनांक-20.01.2015 व पत्र संख्या भा.स 68/14-2-2014-800(95)/2014टीसी-1, दिनांक-16.07.2015 में दिये गये निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, मेरठ के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8वीं/यू०पी०/०६/221/2021 /एफ०सी०/930, दिनांक-28.02.2023. से आच्छादित देय कों यथा क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की धनराशि सम्बन्धित मदों में कौम्पा फण्ड में जमा करा दी गयी है।

अतः भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक-08.08.2014 एवं उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश/पत्र दिनांक-20.01.2015 व उक्त शासनादेश /पत्र दिनांक-16.07.2015 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति मे शर्त सं० 23 (The order of temporary Work permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation of Nodal office and this office. Order of temporary work permission have to be uploaded on parivesh portal as well.Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission) में दिये गये निर्देशों के तहत एवं निम्न शर्तों के तहत प्रयोक्ता अभिकरण, निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, मेरठ को विषयक परियोजना की जनपद मेरठ के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने की अस्थायी कार्यानुमति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है-

क०प०उ०.....

- 1- प्रयोक्ता अभिकरण निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, मेरठ द्वारा भारत सरकार को द्वारा जारी उक्त सन्दर्भित सौदागतिक स्वीकृति दिनांक-28.02.2023 में उल्लिखित सागरत शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- 2-जनपद मेरठ के अन्तर्गत प्रत्येक 15 दिवसों में होने वाले कार्य/वृक्षों के पातान से संबंधित संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।
- 3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा/उनके कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त मार्ग की पटरी की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए प्रभागीय निदेशक, द्वारा एतदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रश्नगत कार्यदायी संस्था/प्रस्तावक कम्पनी/विभाग के स्वामी पर वाध्यकारी होगा, संस्था के स्वामी द्वारा देय होगा।
- 4-प्रश्नगत कार्य कराये जाने के दौरान भूमिगत ओ0एफ0सी0 व सीवर व पेयजल व विद्युत लाईनों तथा टेलीफोन लाईनों की किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी प्रश्नगत कार्यदायी संस्था/प्रस्तावक कम्पनी/प्रस्तावक विभाग का होगा अर्थात् इस हेतु वन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 5-प्रश्नगत मार्ग पटरी की भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 6-परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस-पास के वन क्षेत्र, पौधों व वृक्षों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7- प्रश्नगत प्रकरण में भविष्य में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार तथा वन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा विभाग के हित में लिया गया निर्णय प्रश्नगत कार्यदायी संस्था/प्रस्तावक कम्पनी/ विभाग के स्वामी को मान्य होगा।
- 8-परियोजना पर कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों/वृक्षों की क्षति/हानि नहीं पहुँचायेगे तथा अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री का उपयोग करेंगे।
- 9-प्रयोक्ता अभिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना निर्माण कार्य के दौरान मार्ग पटरी की संरक्षित वनभूमि पर मिट्टी आदि का खुदान नहीं करेंगे।
- 10-प्रयोक्ता अभिकरण निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, मेरठ को वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत प्रत्येक रिथति में जल्द से जल्द विधिवत स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

संख्या - 3011 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी मेरठ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मेरठ।

(राजेश कुमार)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मेरठ।

संख्या - 3011 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद वन प्रभाग।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरधना एवं रिठानी को इस आशय से प्रेषित है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा/उनके कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगे।

(राजेश कुमार)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मेरठ।



कार्यालय सामाजिक निदेशक सामाजिक मानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।  
पत्रांक- 4611 / 14-1 (पर्यावरण/सड़क/सिंचना/सिंचना) निर्माण, गाजियाबाद जनवरी 2024।

सेवा में

अधिसारी अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
निर्माण खण्ड-2, गाजियाबाद।

विषय-

पट्टी की वन सीट, कामंड सड़क मार्ग को निर्माण हेतु अगर मंगल भूनाल की दायीं पट्टी कि०मी० चौड़ाई 51.90 से 183.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.90 हे० संरक्षित वन भूमि को गैर मानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 10973 वृक्ष/मेरठ वन प्रभाग में 66695 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या- (FP/UP/Road/121197/2021) के संकेत में।

संदर्भ

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक- 8वी०/सू०पी०/०६/२२१/एम्ब०सी०/१२० दिनांक 28.02.2023 एवं अधिसारी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ का कार्यालय पत्रांक-143/कां० नं० (दायी पट्टी), दिनांक-24.01.2024।

पट्टी की वन सीट, कामंड सड़क मार्ग को निर्माण हेतु अगर मंगल भूनाल की दायीं पट्टी कि०मी० चौड़ाई 51.90 से 183.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.90 हे० संरक्षित वन भूमि को गैर मानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 10973 वृक्ष/मेरठ वन प्रभाग में 66695 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में अधिसारी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा अपने संदर्भित पत्र दिनांक-24.01.2024 द्वारा विन्यक्त परियोजना में क्षतिपूर्क वनीकरण, एम्ब०पी०सी०, अतिरिक्त क्षतिपूर्क वनीकरण की धनराशि, परिसम्पत्तियों की धनराशि रूपये-59,23,06,667.00 (अष्टावन करोड़ तैईस लाख छः हजार छःसौ सत्तराठ मात्र) का भुगतान आनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से केंद्र काउंट में जमा किया जा चुका है एवं वन्य जीवों के सफल प्रवन्धन के लिए प्रत्येक वन प्रभाग हेतु मांग कि एकी धनराशि 1.5 करोड़ (रु० पचास लाख प्रति वन प्रभाग) में से रु० 50.00 लाख का भुगतान प्रभागीय निदेशक सामाजिक मानिकी प्रभाग, मेरठ को किया जा चुका है। परन्तु सामाजिक मानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद हेतु अपरोक्ष धनराशि रूपये एक करोड़ का ऑनलाईन मुआवजा बजटिय प्रणाली में कोषागार द्वारा Intra Treasury Transaction Payment का निराकरण/विकल्प होते ही भुगतान की कार्यवाही अग्रे 01 माह में तोडनि०दि० के सन्मन्धित जनपद/खण्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

विन्यक्त परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित होने के कारण अधिसारी अभियंता, लोकनि०दि०, निर्माण खण्ड, मेरठ द्वारा मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन सम्बन्धी कार्यवाही (नोट वन निगम हेतु) एवं कार्य अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि पर बाधक 4164 वृक्षों एवं 25000 पौधों के पातन एवं अस्थायी कार्यानुमति उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या भा०रो० 68/14-2-2014-800(95)/2014 टी०सी०-1, दिनांक- 16.07.2015 एवं भारत सरकार द्वारा दिनांक-28.02.2023 को निर्गत रोडनि०दि० स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 22 'Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission'. से अनुपालन में निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कि जाती है:-


1. प्रत्येकता अधिकारण/लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत, रोडनि०दि० स्वीकृति दिनांक-28.02.2023 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
2. प्रत्येकता अधिकारण/लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत रोडनि०दि० स्वीकृति दिनांक-28.02.2023 में उल्लेखित शर्त संख्या 01 से 20 तक कि अनुपालना यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. वन्य जीवों के सफल प्रवन्धन हेतु सामाजिक मानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद हेतु अपरोक्ष धनराशि रूपये एक करोड़ का भुगतान 01 माह के भीतर न होने कि दशा में उक्त कार्यानुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
4. परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से 02 दिवस पूर्व कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत प्रत्येक 15 दिवस के भीतर परियोजना में निर्माण कार्य एवं वृक्षों के पातन कि प्रगति से सम्बन्धित संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. परियोजना में निर्माण कार्य में सगे कर्मचारियों/उपेक्षा/श्रमिकों एवं परियोजना को छोड़े व्यक्ति विशेष द्वारा वन संपदा एवं वन्य जीवों को क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। उक्त का उल्लंघन होने कि दशा में प्रत्येकता अधिकारण/पर्यावरण करने वाली संस्था पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्यावाही आगल में लायी जायेगी।
7. परियोजना में निर्माण कार्य के दौरान भूमिगत औ०एम्ब० केबल, रीभर पेन्डल, विद्युत स्तंभ तथा टेलीफोन लाईन में किसी भी प्रकार कि क्षति के लिए प्रत्येकता अधिकारण/लोक निर्माण विभाग संचय उत्तरदायी होगी।


B. प्रस्तावित मार्ग पट्टरी की भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन को लिए नहीं किया जायेगा।

संलग्न - सधोपरि।

संख्या- 4411 /14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) उक्तदिनांकित।

प्रतिनिधि सिलासिवासी साखियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


  
29/01/2024  
(प्र.नि.सि.सि.)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक यानिकी प्रभाग,  
साखियाबाद।

  
29/01/2024  
(प्र.नि.सि.सि.)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक यानिकी प्रभाग,  
साखियाबाद।

संख्या- 4411 /14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) उक्तदिनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
4. अधिशासी अनियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक-24.01.2024 के अनुरोध के क्रम में।
5. प्रभागीय निदेशक सामाजिक यानिकी प्रभाग, मेरठ व मुज्जफरनगर।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी मोदीनगर वन रेंज को इस आशय से प्रेषित कि परियोजना में वाघक सनत्त वृक्षों का त्रुटिरहित छपान कर लॉट अदिलन्य इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं लॉटों में वृक्षों के प्रातन के समय चुरकित वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति न होने पर्यें।

  
29/01/2024  
(प्र.नि.सि.सि.)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक यानिकी प्रभाग,  
साखियाबाद।